न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 18/2015
प्रविष्टि दिनांक 08.09.2015

कैलाश पुत्र घासी जाति जाट निवासी चौसला तहसील मालपुरा जिला टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–सत्यनारायण पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राहमण निवासी चौसला तहसील मालपुरा जिला टोंक

2–नानीदेवी पुत्री बजरंग लाल जाति ब्राहमण निवासी चौसला तहसील मालपुरा जिला टोंक

..... अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री प्रमोद शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री विवके चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 30.01.2020

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.04.1965 को प्रतिपक्षी संख्या–1 व 2 की मां को आ0ख0नं0 898/8 मे रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चौसला तहसील मालपुरा में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हैतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 898/8 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चौसला मे दिनांक 09.04.1965 को मृतका लादीबाई को आवंटन किया गया है,लेकिन मौके पर आवंटी का आवंटन के बाद से कोई कब्जा नही रहा उसने कभी भी जमीन को काश्त नही किया तथा आवंटी की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम भरा गया,लेकिन उनका भी कोई मौके पर कभी कब्जा नही रहा है। आवंटी ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर उक्त भूमि को अपने नाम लगादी गई और आवंटी की मृत्यु की पश्चात विरासत मे अप्रार्थीगण के नाम आ गई। आराजी खसरा नम्बर 898 काफी बडा रकबा है तथा इसमे कई लोगो को जमीन आवंटन हुई है,लेकिन आवंटी का मौके पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

कब्जा नही रहा न उसके वारिसान का रहा है। उक्त आराजी मे प्रार्थी के दादाजी को भूमि आवंटन हुई थी जिस पर प्रार्थी का बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस मे कथन किया कि तहसीलदार मालपुरा द्वारा दिनाक 09.04.1965 को आ0ख0नं0 898/8 मे से रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चौसला तहसील मालपुरा मे नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। प्रतिपक्षीगण मां का कब्जा उनके जीवन काल तक रहा तथा मृत्यु के बाद मौके पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की है। उक्त भूमि बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने दिनांक 29.05.2017 को डिग्री जारी की है। शिकायतकर्ता ने उक्त भूमि पर अपना कब्जा बताकर आवंटन को निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी 50 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त करवाना चाहता है जो सही नही है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद 14(4) के तहत कार्यवाही नही की जाती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपने कथन की पुष्टि मे न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे 2009 पेज 20, आर.बी.जे 2008 पेज 435, आर.बी.जे 2014 पेज 685, आर.एल.डब्ल्यू 2016 (4) पेज 3181,आर.आर.जे 2011 (1) पेज 383, आर.बी.जे 2011 पेज 524 उद्वरित किये है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की मां लादी बेवा बजरंग लाल जाति ब्राहमण निवासी चौसला को तहसीलदार मालपुरा द्वारा दिनाक 09.04.1965 को आ0ख0नं0 898/8 मे रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चौसला मे आवंटन किया गया है।

अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है,आवंटी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है, आवंटी सद्भावी कृषक नही है परन्तु प्रार्थी की ओर से इन तथ्यो की तायद मे कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया है। अतः इन कथनो के आधार पर भी अप्रार्थीगण की मां का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। प्रार्थी का कथन है कि आवंटित भूमि एंव प्रार्थी की भूमि का एक ही खेत है। अर्थात प्रार्थी आवंटित भूमि पर अपना कब्जा बता रहा है,यदि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा मान भी लिया जावे तो वह अवैधानिक रूप से है जिसके आधार पर भी अप्रार्थीगण की मां का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी 2072–2075 मे उक्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तो वह अवैधानिक कब्जे की परिभाषा मे आता है। इस कारण विधिवत रूप से दर्ज खातेदार का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। वर्तमान मे आवंटित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है।प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। तहसीलदार मालपुरा द्वारा अप्रार्थीगण की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

मां लादी के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है जिसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की मां लादी बेवा बजरंग लाल जाति ब्राहमण निवासी चौसला तहसील मालपुरा जिला टोंक को दिनांक 09.04.1965 को ग्राम चौसला की आ0ख0नं0 898/8 मे रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति. जिला कलक्टर, टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.03 16:07:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: